

कार्यालय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

देवरिया बाई पास रोड, रामगढ़ताल परियोजना, गोरखपुर ।

प्रदेशन पत्र

संख्या / दस-सम्पत्ति / गो0वि0प्रा0 / 2023-24, दिनांक- / / 2023

सेवा में,

श्री / श्रीमती

पुत्र / पत्नी श्री

पता

.....

.....

महोदय / महोदया,

आप द्वारा प्राधिकरण की खोराबार टाउनशिप एवं मेटिसिटी योजना के अर्न्तगत ओ0आर0ए0 नं0- संख्या- दिनांक- से रू0- (रूपया) मात्र प्राधिकरण निधि में जमा करके श्रेणी के भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण कराया गया है । आप के पक्ष में भूखण्ड संख्या आवंटित किया जाता है, जिसके विरुद्ध निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान अपेक्षित है :-

(क) भूखण्ड का मानक क्षेत्रफल वर्ग मीटर मूल्य रू0- मात्र है ।

(ख) जमा पंजीकरण धनराशि रू0- मात्र ।

(ग) नगद कय पर एक मुश्त देय धनराशि रू0- मात्र दिनांक- / / 2023 तक जमा करनी होगी ।

(घ) आवंटन के पश्चात् 15 प्रतिशत एक मुश्त देय धनराशि रू0- मात्र दिनांक- / / 2023 तक जमा करनी होगी ।

(ङ) भूखण्ड मूल्य की अवशेष धनराशि रू0- मात्र मात्र को पत्र निर्गत होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर दिनांक- / / 2023 तक जमा करना होगा ।

(च) विविध शुल्क :-

आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या- में नियमानुसार निम्नलिखित धनराशि अतिरिक्त जमा करना होगा :-

1- भूखण्ड के पास उपलब्ध वर्ग

मीटर अतिरिक्त भूमि का मूल्य

रू0-

2- कार्नर शुल्क भूखण्ड के मूल्य का 10 प्रतिशत

रू0-

3- फ्रीहोल्ड चार्ज 12 प्रतिशत

रू0-

योग- रू0-

कमशः 2/-

(2)

अतः उपरोक्त धनराशि दिनांक—

/ / 2023 तक प्राधिकरण निधि में जमा करना सुनिश्चित करें ।

(छ) वांछित धनराशि जमा करने के पश्चात् नियमानुसार स्टैम्प पेपर प्रस्तुत करके विक्रय विलेख निष्पादित कराकर अपने पक्ष में आवंटित सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

नोट :- (1) धनराशि जमा करने हेतु देय समयावधि में वृद्धि के लिए अपरिहार्य परिस्थितियों में आवंटी के लिखित अनुरोध पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्दिष्ट कारणों से सन्तुष्ट होने पर देय आवंटन धनराशि का 18 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार जमा करने पर 60 दिन के अवधि का समय प्रदान की जा सकती है । इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में समय वृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी तथा इस अवधि के पश्चात् आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा । ऐसी दशा में जमा पंजीकरण धनराशि की 25 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की दी जायेगी ।

उपरोक्त विवरण में अंकित धनराशि को आन्ध्रा बैंक, शाखा तारामण्डल, गोरखपुर के माध्यम से प्राधिकरण निधि में निर्धारित अवधि के अन्दर जमा करना आवश्यक होगा । आवंटी यदि उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो पंजीकरण के लिए निर्धारित धनराशि रू0—..... मात्र का 25 प्रतिशत जब्त करते हुए आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा ।

(2) यदि भूखण्ड के मानक क्षेत्रफल में लीज प्लान प्राप्त होने पर भूमि की मात्रा आवंटित क्षेत्रफल से बढ़ती है तो माकन क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भूमि पुराने दर से तथा शेष अतिरिक्त भूमि का मूल्य वर्तमान दर पर भुगतान करना होगा ।

(3) किसी भी देय धनराशि को विलम्ब से जमा करने पर 18 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त दण्डात्मक ब्याज देय होगा, जो अधिकतम तीन माह के देय होगा ।

(4) यदि देय तिथि के दिन बैंक अवकाश होता है तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दें ।

(5) आवंटी द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में किये गये भुगतान को प्राधिकरण के खाते में प्राप्त होने की तिथि को ही माना जायेगा ।

(6) आवंटी आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य विक्रय विलेख निष्पादित होने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा । अन्यथा उक्त अवधि के पश्चात् भवन का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।

सहायक सम्पत्ति अधीक्षक,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर ।